# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

*(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)*

**शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ**

**CIN: U32201UP1999SGC024928**

**संख्या 92 – विनियम एवं काविनी / पाकालि /2017–20–विनियम/2015** **दिनांक 03 जुलाई, 2017**

विषय :– कम्प्यूटर सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली में संशोधन।

## कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक में मद संख्या–129(42) पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली–2015 में कार्यालय ज्ञाप सं0–22–विनियम एंव काविनी / पाकालि / 2015–20–विनियम / 2015 दिनांक 25.02.2016 द्वारा भाग–5 सीधी भर्ती की प्रक्रिया हेतु निर्धारित लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

**(ख) लिखित एवं टंकण परीक्षा**

| वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था<br>स्तम्भ–अ | प्रस्तावित व्यवस्था स्तम्भ–अ के स्थान पर<br>स्तम्भ–ब |
|---|---|
| कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों में से 60 % पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी :–<br><br>**(क) लिखित परीक्षा** : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। | कम्प्यूटर सहायक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :– |
| **प्रथम भाग :**<br>प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ¼ अंक की कटौती की जायेगी।<br><br>प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। | **प्रथम भाग :**<br>(1) इस भाग में NIELIT के "CCC" स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।<br><br>(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम–से–कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह् न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।<br><br>(3) कम्प्यूटरज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। |
| **द्वितीय भाग :**<br>लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ | **द्वितीय भाग :**<br>इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित |

प्रकार के निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ अंक की कटौती की जायेगी।

| प्रश्नपत्र | प्रश्नों की संख्या | अधिकतमअंक |
|---|---|---|
| सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान | 50 | 50 |
| सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण *(इण्टरमीडिएट स्तर)* | 50 | 50 |
| सामान्य अंग्रेजी *(इण्टरमीडिएट स्तर)* | 50 | 50 |
| कुल अंक | | 150 |

वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक ¼ अंक प्रदान किये जाएंगे अर्थात् ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

| पाठ्यक्रम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| (1) सामान्य अध्ययन व तार्किकज्ञान | 25<br>45 | 25<br>45 |
| (2) सामान्य हिन्दी *(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)* | 55 | 55 |
| (3) सामान्य अंग्रेजी *(इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)* | 55 | 55 |
| कुल अंक | | 180 |

**तृतीय भाग :**

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्नपत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

**(ख) टंकण परीक्षा :–** उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जायेगा।

**टिप्पणी–** वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न पत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

**तृतीय भाग :**

उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमन्त्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा।

हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फोन्ट में ली जायेगी।

चयन हेतु हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात् हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किये जाएंगे जो हिन्दी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किये हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

| | |
|---|---|
| | **विशेष :**<br>(1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों एवं तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अन्तिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रियासम्पन्न की जाएगी।<br>(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।<br>(3) परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका इस विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। |

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से।**

संख्याः 92 –(1) विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

03.07.17

(राजेश कुमार भटनागर)
**अनु सचिव (विनियम)**